सत्यमेव जयते

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
(सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)
National Highways Authority of India
(Ministry of Road Transport and Highways, Government of India)
जी-5 एवं 6, सेक्टर-10, द्वारका, नई दिल्ली - 110 075 • G-5 & 6, Sector-10, Dwarka, New Delhi-110075
दूरभाष/Phone : 91-11-25074100 / 25074200

भाराराप्रा / नीति दिशानिर्देश / विविध दिशानिर्देश /2026
नीति परिपत्र सं. 18.143 /2026 दिनांक 23rd अक्टूबर, 2026
{(ई-ऑफिस फाइल स. CDMDIV-25/27/2026-CMD Division (कम्प्युटर सं. 330722 पर लिया गया निर्णय)}

NHAI/Policy Guidelines/ Miscellaneous Guidelines/2026
Policy Circular No. 18.143 /2026 dated 23rd October, 2026
{(Decision taken on E-Office File No. CDMDIV-25/27/2026-CMD Division (Comp No. 330722)}

विषय: बिटुमेन और थोक पीओएल के लिए लागत मूल्य-वृद्धि क्षतिपूर्ति तंत्र - समझौता अनुबंधों द्वारा शासित ईपीसी और एचएएम परियोजनाओं के लिए प्रयोज्यता - स्पष्टीकरण के संबंध में।

Sub: Cost Escalation Compensation Mechanism for Bitumen and Bulk POL - applicability to EPC and HAM Projects governed by Settlement Agreements - Clarification. reg:-

संदर्भ: (i) सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के पत्र सं. एनएच-24028/03/2026-एच दिनांक 01.04.2026, 17.04.2026, 25.04.2026, 18.05.2026, 05.06.2026, 17.06.2026, 29.07.2026 और दिनांक 08.10.2026 के दो पत्र (बिटुमेन; थोक पीओएल);

(ii) भाराराप्रा के नीति परिपत्र सं. 18.115/ 2026 दिनांक 08.04.2026, 18.117/ 2026 दिनांक 16.05.2026, 18.122/2026 दिनांक 29.05.2026, 18.124/2026 दिनांक 13.06.2026, 18.125/2026 दिनांक 21.06.2026 और 18.132/2026 दिनांक 04.08.2026.

Ref: (i) MoRT&H letters No. NH-24028/03/2026-H dated 01.04.2026, 17.04.2026, 25.04.2026, 18.05.2026, 05.06.2026, 17.06.2026, 29.07.2026 and the two letters dated 08.10.2026 (Bitumen; Bulk POL);

(ii) NHAI Policy Circular Nos. 18.115/2026 dated 08.04.2026, 18.117/2026 dated 16.05.2026, 18.122/2026 dated 29.05.2026, 18.124/2026 dated 13.06.2026, 18.125/2026 dated 21.06.2026 and 18.132/2026 dated 04.08.2026.

1. पृष्ठभूमि:
Background:

1.1 मंत्रालय ने ऊपर संदर्भित परिपत्रों द्वारा प्रचालित वैश्विक स्थिति से उत्पन्न बिटुमेन और थोक पीओएल (एचएसडी) की कीमतों में असाधारण वृद्धि की भरपाई हेतु एक लागत मूल्य-वृद्धि क्षतिपूर्ति तंत्र (सीईसीएम) अधिसूचित किया था। बिटुमेन और थोक पीओएल पर मंत्रालय के दिनांक 08.10.2026 के पत्रों द्वारा इन परिपत्रों की अधिमान्यता दिनांक 31.12.2026 तक बढ़ा दी गई है।
Ministry vide the Circulars cited above notified a Cost Escalation Compensation Mechanism (CECM) to offset the abnormal rise in the prices of Bitumen and Bulk POL (HSD) arising out of the prevailing Global situation. The validity of the Circulars stands extended till 31.12.2026 vide the Ministry's letters dated 08.10.2026 on Bitumen and Bulk POL.

Contd.....2/-

1.2 मुख्यालय के क्षेत्रीय कार्यालयों/ पीआईयू/ तकनीकी प्रभागों के और से इस संबंध में संदर्भ प्राप्त हुए हैं कि क्या यह सहायता उन ईपीसी और एचएएम परियोजनाओं तक बढ़ाई जा सकती है जिनकी मूल्य समायोजन शर्तें मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 की धारा 73 के अंतर्गत निष्पादित समझौता करारों द्वारा संशोधित/स्थिर की गई हैं, जो निष्पादित किए जाने वाले संतुलन कार्यों के लिए अंतिम तारीख के अनुसार मूल्य सूचकांकों को स्थिर करते हैं। ऐसे व्यक्तिगत प्रस्तावों को पहले ही कार्यकारिणी समिति के समक्ष प्रस्तुतु किया जा चुका है (कार्यसूची मद सं. 737.19 और 737.23 देखें)। एकरूपता सुनिश्चित करने हेतु स्थिति निम्नानुसार स्पष्ट की जाती है।

References have been received from ROs/ PIUs/Technical Divisions at HQ on whether the relief can be extended to EPC and HAM Projects whose price adjustment terms stand modified/frozen by Settlement Agreements executed under Section 73 of Arbitration and Conciliation Act 1996 which freeze the price indices as on a cut-off date for balance works to be executed. Individual proposals of this kind have already been placed before Executive Committee (Refer Agenda Item No. 737.19 and 737.23). To ensure Uniform treatment, the position is clarified as given below.

2. प्रयोज्यता:
Applicability:

2.1 यह परिपत्र भाराराप्रा के ईपीसी और एचएएम करारों पर लागू होता है जहां शेष कार्यों का मूल्य समायोजन किसी समझौता अनुबंध द्वारा स्थिर किया गया है। पीबीएमसी, एसटीएमसी, मददर-, बीओटी और टीओटी करार मंत्रालय के लागू परिपत्रों द्वारा शासित होते रहेंगे और वे यहां शामिल नहीं हैं।

This Circular applies to **EPC and HAM contracts** of NHAI where the price adjustment of balance works stands frozen by a Settlement Agreement. PBMC, STMC, Item-Rate, BOT and TOT contracts continue to be governed by the applicable Ministry's Circulars and are not covered here.

2.2 यह सहायता केवल उन्हीं कार्यों के लिए स्वीकार्य है जो वास्तव में मंत्रालय द्वारा अधिसूचित या समय-समय पर सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा विस्तारित समयावधि के भीतर निष्पादित किए गए हैं, जिन परियोजनाओं के लिए बोली की नियत तारीख़ 01.04.2026 से पूर्व थी। इन समयावधियों (बिटुमेन के लिए 01.04.2026 से 31.12.2026 और थोक पीओएल के लिए 01.05.2026 से 31.12.2026) के बाहर निष्पादित कार्य पात्र नहीं हैं, चाहे बिल उनके भीतर ही क्यों न बनाए गए हों। एई / आईई द्वारा यथाप्रमाणित निष्पादन का माह पात्रता निर्धारित करता है।

The relief is admissible only for works actually executed within the time periods notified by the Ministry or extended by MoRTH from time to time, in the Projects where the **bid due date was prior to 01.04.2026.** Works executed outside these windows (01.04.2026 to 31.12.2026 for Bitumen and 01.05.2026 to 31.12.2026 for Bulk POL) are not eligible even if billed within them. The month of execution, as certified by AE / IE, decides the eligibility.

3. यह स्पष्ट किया जाता है कि:
It is clarified that:

3.1 बिटुमेन और थोक पीओएल के लिए यह सहायता मंत्रालय की एक नीतिगत छूट है, जो संविदात्मक मूल्य समायोजन के अतिरिक्त है। समझौता अनुबंध के अंतर्गत सूचकांकों के स्थिर होने के बावजूद भी इसका भुगतान किया जाएगा। ऐसी सहायता निर्धारित करने के लिए मंत्रालय के परिपत्रों में उल्लेखित प्रक्रिया का पालन किया जाएगा।

The relief for Bitumen and Bulk POL is a Policy dispensation of the Ministry, over and above the contractual price adjustment. It shall be paid despite freezing of indices under the Settlement Agreement. The procedure given in the Circulars of Ministry shall be followed to determine such relief.

Contd.....3/-

3.2 यह सहायता अनिवार्यतः बिटुमेन और थोक पीओएल तक सीमित है। अन्य सभी मदों के लिए मूल्य समायोजन समझौता अनुबंध में उल्लेखितानुसार स्थिर रहेंगी। मंत्रालय के दिनांक 01.04.2026 के परिपत्र के अंतर्गत सूचकांकों के समय में दी गई छूट (तीन माह के स्थान पर आईपीसी माह से एक महीने पूर्व) बिटुमेन और थोक पीओएल के अलावा अन्य सूचकांकों को अस्थिर नहीं करती है।
The relief is strictly confined to Bitumen and Bulk POL. Price Adjustment for all other Items shall continue to be frozen as mentioned in the Settlement Agreement. The relaxation in the timing of Indices under the Ministry's Circular dated 01.04.2026 (one month prior to the IPC month in place of three months) does not un-freeze those indices other than Bitumen and Bulk POL.

3.3 मंत्रालय के परिपत्र दिनांक 05.06.2026 (भाराराप्रा नीति परिपत्र सं. 18.124/2026 द्वारा परिचालित) के पैरा 3 में किए गए स्पष्टीकरण अनुसार, एक संविदाकार / कंसेसनेयर या तो इस सहायता का या डीओई कार्यालय ज्ञापन दिनांक 29.04.2026 के अंतर्गत फोर्स मेज्योर का हितलाभ ले सकता है।
As clarified in Para 3 of the Ministry's circular dated 05.06.2026 (circulated vide NHAI Policy Circular No. 18.124/2026), a Contractor / Concessionaire may avail **either** this relief **or** the benefit of Force Majeure under DoE OM dated 29.04.2026.

3.4 यह परिपत्र किसी भी समझौता अनुबंध को संशोधित, समाप्त या पुनः आरंभ नहीं करता है। बिटुमेन और थोक पीओएल के मामले में सहायता को छोड़कर, इसकी सभी शर्तें, जिनमें पूरा होने की तारीख़, दावों की छूट, क्षति और चूक के परिणाम शामिल हैं, पूर्णतया लागू रहेंगी।
This Circular does not amend, waive or reopen any Settlement Agreement. All its terms, including completion dates, waiver of claims, damages and consequences of default, remain fully in force except for relief in case of Bitumen and Bulk POL.

4. तकनीकी प्रभाग इस परिपत्र को संचालित करने हेतु प्रत्येक समझौता अनुबंध/परियोजना के संबंध में संबंधित सदस्य का अनुमोदन प्राप्त करेंगे। तत्पश्चात, क्षेत्रीय अधिकारी/परियोजना निदेशक यह सुनिश्चित करेंगे कि ऊपर संदर्भित मंत्रालय के परिपत्रों में निर्धारित प्रक्रिया, सूत्रों, शर्तों और अवधियों के अनुसार ही सख्ती से सहायता का निर्धारण और भुगतान किया जाए।
Technical Divisions shall take the approval of concerned Member w.r.t each Settlement Agreement/Project for operating this Circular. Thereafter, ROs/PDs shall ensure that the relief is determined and paid strictly in terms of the procedure, formulae, conditions and periods prescribed in the Ministry's Circulars referred above.

5. यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।
This issues with the approval of Competent Authority.

23/X/2026

(सीएस. संजय कुमार पटेल/ CS. Sanjay Kumar Patel)
प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक(समन्वय) (i/c) Chief General Manager (Coord.)

प्रति/ To:

भाराराप्रा मुख्यालय/आरओ/पीआईयू/सीएमयू/साइट कार्यालयों के सभी अधिकारी।
All Officers of NHAI HQ/ ROs/ PIUs/ CMUs/ Site Offices.

प्रतिलिपि/ Copy to:

1. पुस्तकालय की साइट पर प्रकाशन के लिए पुस्तकालय को।
Library for hosting the Circular on Library site.
2. परिचालन के लिए वेब एडमिन को।
Web Admin for Circulation.
3. सचिव, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के प्रधान निजी सचिव को सूचनार्थ।
PPS to Secretary, MoRT&H for Kind Information.